संख्या-347/2017/1916/22-2-2016-17(101)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 15 मई, 2017

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री सुखीलाल, निवासी जनपद-उन्नाव की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/2016 (एम 06.09.2016) दिनांक-26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री सुखीलाल, ग्राम-संताखेडा, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पुराने विवाद (रंजिश) में दिनांक 13.10.1986 को बन्दी गोपाल ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा व कुल्हाडी से सोनेलाल व होरीलाल हमला कर सोनेलाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 17.08.1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2003 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.08.2015 तक 15 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत रखते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पुराने विवाद (रंजिश) में निर्दयतापूर्वक देसी कट्टा व कुल्हाडी से हमला कर निर्मम हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-60 वर्ष 07 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री सुखीलाल, निवासी जनपद-उन्नाव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या-6095(एम.बी.)/2017 गोपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से आच्छादित हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-03-2017 के अनुपालन तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गोपाल (बन्दी संख्या-14958) पुत्र श्री सुखीलाल, निवासी जनपद-उन्नाव के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-347/2017/1916(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-347/2017/1916@22-2-2016-17(101)/2017

दिनांक 15 मई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध गोपाल (बन्दी संख्या-14958) पुत्र श्री सुखीलाल, ग्राम-संताखेडा, थाना-गंगाघाट, जनपद-उन्नाव का निवासी है। पुराने विवाद (रंजिश) में दिनांक 13.10.1986 को बन्दी गोपाल ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा व कुल्हाडी से सोनेलाल व होरीलाल हमला कर सोनेलाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 17.08.1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2003 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.08.2015 तक 15 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी पुराने विवाद (रंजिश) में दिनांक 13.10.1986 को बन्दी गोपाल ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी कट्टा व कुल्हाडी से सोनेलाल व होरीलाल हमला कर सोनेलाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 17.08.1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2003 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.08.2015 तक 15 वर्ष 05 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत रखते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पुराने विवाद (रंजिश) में निर्दयतापूर्वक देसी कट्टा व कुल्हाडी से हमला कर निर्मम हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-60 वर्ष 07 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल पुत्र श्री सुखीलाल, निवासी जनपद-उन्नाव को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in